निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1938 (शo)

(सं0 पटना 205) पटना, वृहस्पतिवार, 16 मार्च 2017

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

अधिसूचनाएं

15 मार्च 2017

सं0 2/बी0एस0सी0ई01–52/2016 श्र0सं0–972—भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल बिहार सचिवालय भोजशाला लिपिकीय संवर्ग के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय भोजशाला लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना तक सीमित होगा।

(3) यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएँ ।**– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(i) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(ii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है, श्रम आयुक्त, बिहार, पटना ;

(iii) 'संवर्ग नियंत्री प्राधिकार' से अभिप्रेत है श्रम आयुक्त, बिहार, पटना;

(iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग, बिहार ;

(v) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

3. **संवर्ग का गठन।** – (1) इस संवर्ग में निम्नांकित तीन कोटि के पद होंगे :–

(क) निम्नवर्गीय लिपिक

(ख) उच्चवर्गीय लिपिक

(ग) प्रधान लिपिक

(2) इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व से पैन्ट्री लिपिक, सहायक लेखापाल, रोकड़पाल एवं भंडारपाल के पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में, संवर्ग में अपने वेतनमान के अनुसार, समायोजित समझे जायेंगे। भविष्य में इन समायोजित पदों पर कोई भी नियुक्ति नहीं की जायेगी।

4. **प्राधिकृत बल।** – सरकार इस संवर्ग में पदों की नई स्वीकृत संख्या निर्धारित कर सकेगी तथा इसके अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी।

5. **आरक्षण।** – राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर के प्रावधान इस संवर्ग के लिए लागू किया जाएगा।

6. **निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में भर्त्ती।** – (1) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के कुल अधिकृत बल का पचासी प्रतिशत (85%) पद सीधी भर्त्ती से, आयोग द्वारा, इस उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे। परन्तु सीधी भर्त्ती से भरे जाने वाले पदों में ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रित को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, विनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी यदि वे इस कोटि में नियुक्त होने की अहर्ताएँ धारित करते हो एवं इसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु यदि सीधी नियुक्ति एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एक ही समय में की गई हो तो, सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे। नियत तिथि को निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस कोटि में स्वतः समाहित समझे जायेंगे।

(2) अधिकृत बल का शेष पन्द्रह प्रतिशत (15%) पद बिहार सचिवालय भोजशाला की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह–'घ' के ऐसे कर्मी जो निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अहर्ता रखते हों, को वरीयता एवं आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्त पदों पर भरे जायेंगे।

(3) वैसे निम्नवर्गीय लिपिक जो इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से नियुक्त एवं सेवा में कार्यरत है एवं इस सेवा में स्वतः शामिल किये गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्ष से कम हो, उन्हें नियत तिथि से दो वर्ष के भीतर सरकार द्वारा आयोजित टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। उक्त अवधि के भीतर ऐसी योग्यता परीक्षा मे अनुर्तीण होने पर उन्हें वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

(4) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 01 ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करने के बाद उक्त वर्ष के 30 अप्रैल तक रिक्तियों के लिये अधियाचना नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आयोग को भेज दी जायेगी। आयु की पात्रता रिक्ति वर्ष की 01 ली अगस्त के अनुसार होगी।

(5) संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अहर्ता, नियम, प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

7. **अर्हता।**–(1) निम्नवर्गीय लिपिक में भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष एवं कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान एवं उस पर हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण की न्यूनतम गति क्रमषः 30 शब्द एवं 40 शब्द प्रति मिनट होगी। कम्प्यूटर संचालन में विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम (एम0 एस0 ऑफिस) तथा इन्टरनेट पर काम करने की दक्षता आवश्यक होगी।

(2) इस संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाय।

8. **परिवीक्षा अवधि।** – निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो की होगी जिसे नियुक्ति प्राधिकार द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित विशेष कारणों से, एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि विस्तार की स्वीकृति पत्र में पायी गई कमियों को भी उल्लिखित किया जाएगा ताकि संबंधित कर्मी को उसमें सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्षो से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण।** – परिवीक्षा अवधि में, निम्नवर्गीय लिपिक को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो विभाग के द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

10. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।** – नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता अहर्ता जांच परीक्षा तथा बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के सुसंगत नियमों में अवधारित विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

11. **सम्पुष्टि।** – परिवीक्षाधीन की सेवा, परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद होने पर, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट की जा सकेगी। सेवा सम्पुष्ट होने पर, परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि कुल सेवाकाल में परिगणित की जाएगी।

12. **निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में वरीयता का अवधारण।** –(1) श्रमायुक्त, बिहार द्वारा बिहार सचिवालय भोजशाला के लिपिकों की आपसी वरीयता संधारित की जायेगी।

(2) नियम–6 के उप नियम (3) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता का अवधारण आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा।

(3) आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति संबंधित वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।

(4) समायोजित निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक की पारस्परिक वरीयता का अवधारण प्रोन्नति की तिथि के अनुसार की जायेगी।

13. **प्रोन्नति।** – (1) विभिन्न कोटि में प्रोन्नति की अनुशंसा हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :–

(i) श्रमायुक्त, बिहार, पटना..... अध्यक्ष

(ii) श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी ..... सदस्य

(iii) श्रम संसाधन विभाग में उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक एवं महिला कोटा के एक पदाधिकारी.....सदस्य

(iv) संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, भोजशाला..... सदस्य सचिव

(v) प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना .....सदस्य

(2) इस संवर्ग में प्रोन्नति निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दी जायेगी :–

(i) निम्नवर्गीय लिपिक को उच्चवर्गीय लिपिक तथा उच्चवर्गीय लिपिक को प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में, की जा सकेगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अवधारित विभागीय लेखा परीक्षा (दोनों पत्रों में) में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(iii) उच्चवर्गीय लिपिक कोटि में प्रोन्नति इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी।

(iv) उच्चवर्गीय लिपिक में प्रोन्नत कर्मियों की वरीयता का अवधारण संवर्ग में प्रोन्नति की तिथि के आधार पर किया जाएगा।

(v) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से उच्चवर्गीय लिपिकों के वेतनमान् में कार्यरत सभी लिपिक इस सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों की कोटि में स्वतः समायोजित हो जायेंगे परन्तु वैसे लिपिक जो उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में स्वतः आमेलित किये गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्ष से कम हो, को नियत तिथि से दो वर्षो के भीतर कम्प्यूटर टंकण एवं कम्प्यूटर संचालन में सक्षमता हासिल कर लेनी होगी। उक्त अवधि के भीतर ऐसी सक्षमता हासिल नहीं करने पर उन्हें आगे कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

14. **अवशिष्ट मामले।** – इस नियमावली से अनाच्छादित मामलों में राज्य सरकार के समुचित स्तर के अन्य कर्मियों के लिए निर्धारित सेवा शर्तों के संबंध में प्रवृत्त सभी नियम, अनुदेश आदि समान रूप से इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

15. **कठिनाईयों का निराकरण।** – जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधानों में कोई संदेह उत्पन्न होगा, वहाँ इस विषय पर श्रमायुक्त, बिहार का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् अंतिम होगा।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति।** – इस नियमावली के लागू होने के पूर्व इस संवर्ग के संबंध में निर्गत सभी संकल्प/अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व के संकल्प/अनुदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

15 मार्च 2017

सं0 2/बी0एस0सी0ई01–52/2016 श्र0सं0–973, सं0 2/बी0एस0सी0ई01–52/2016 श्र0सं0–972 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के नियम–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 15th March 2017

No. 2/B.S.C.E01-52/2016 L&R- 972**—In exercise of the powers conferred under proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for the clerical cadre, Bihar Secretariat Canteen:-**

1. Short title, extent and commencement- (1) These Rules may be called as "Bihar Secretariat Canteen Clerk Cadre Rules, 2017."

(2) It shall extend to the Bihar Secretariat Canteen, Patna.

(3) It shall come into effect from the date of publication in the Bihar Gazette.

2. Definitions- In these rules, unless otherwise requires in the context,

(i) 'State Government' means, Government of Bihar;

(ii) 'Appointing Authority' means, the Labour Commissioner, Bihar, Patna;

(iii) 'Cadre Controlling Authority' means, the Labour Commissioner, Bihar, Patna;

(iv) 'Department' means, the Labour Resource Department, Bihar;

(v) 'Commission' means, the Bihar Staff Selection Commission;

3. Cadre Structure - (1) There will be following three categories of posts in this cadre:-

(a) Lower Division Clerk
(b) Upper Division Clerk
(c) Head Clerk.

(2) The persons appointed and working on the posts of Pantry Clerk, Assistant Accountant, Cashier and Store keeper before the commencement of these rules, will automatically be absorbed in this cadre according to their pay scale in the cadre. There shall be no fresh appointment on these absorbed posts in the future.

4. Authorized Strength- The Government will decide the sanctioned number of posts in this cadre and also create the permanent and temporary posts besides this, or put any post under suspension or vacant.

5. Reservation-The provision of reservation roster decided by the state government from time-to-time will be abided by for this cadre.

6. Recruitment- (1) The appointment of the eighty five percent (85%) posts of total authorised strength of lower division clerk will be filled directly on the basis of the Competitive Examination by the Commission held for this purpose. The dependents of such Government Employees, who dies during the service period, may be made on compassionate grounds as per process determined by the State Government, from time to time, if they are have qualification to be appointed in this category, and for this, recommendation of the Commission will not be required.

Provided that if the direct appointment and the compassionate appointment have been made simultaneously, the person appointed directly will be Senior to the person appointed on the basis of compassionate ground. The person appointed and working as a lower division clerk will be automatically absorbed on the scheduled date of implementation.

(2) The remaining fifteen percent (15%) of authorised strength shall be filled on the basis of seniority and reservation roster from such Group-D employees working in the regular establishment of the Bihar Secretariat canteen who have the qualifications for appointment to the post of lower division clerk.

(3) Such lower division clerks who had been appointed and working before the implementation of these Rules and who have been automatically absorbed in this cadre and whose age is below 50 years on the fixed date, will be required to pass typing and computer eligibility test organized by the State Government within two years from the fixed date. Increment will not be admissible to them on not passing such eligibility Test within the said period.

(4) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1stApril every year and shall send the requisition to the Commission by the 30th April. The eligibility of age will be according to the 1st August of vacancy year.

(5) The eligibility, rules, process and syllabus for the concerned Competitive Examination will be the same as may be determined by the state government.

7. Qualification– (1) The minimum educational qualification for the appointment of L.D.C shall be intermediate or equivalent, with knowledge of computer operation, and Hindi and English typing speed of minimum 30 and 40 words per minute respectively. Efficiency in computer operation to work on Window Operating system (M.S Office) and internet will be essential.

(2) The minimum age-limit and the maximum age limit for appointment to the posts of this cadre will be the same as may be determined by the state government from time to time.